अध्याय

प्रथम

अध्याय प्रथम

1.0.0 प्रस्तावना

शिक्षा सदैव पूर्णता की बात करती ही और समग्र दृष्टि को ही प्रश्रय देती है | इस अर्थ में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का स्वरुप समावेशी है | शिक्षा कभी भी किसी को भी हाशिये पर नही धकेलती बल्कि वह सभी को साथ लेकर चलती है | और साथ चलने , शामिल होने और सम्यक प्रगति करने के प्रति सदा चिंतित रहती है | शिक्षा की यह चिंता उससे जुड़ी हर नीति में , रणनीति और क्रियान्वयन में नजर आती है | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है | कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो , इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी , साथ – साथ उनके सीखने के स्तर पर नजर रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे -

(क) स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहें हैं |

(ख) ड्राप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए है तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं | छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना होगा , ताकि छात्र (विशेष रूप से लड़कियाँ और सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता – पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रूचि न खोएँ | (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पृष्ठ 15)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह कथन निःसंदेह शिक्षा के समावेशी स्वरुप की चर्चा करता है| और उनके प्रति समाज के दायित्व की चर्चा करता है | इतना ही नही , अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक दस्तावेजो में समाज के बहिष्कृत वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रति चिंता व्यक्त की गई | सभी के लिए शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है | विकास की धुरी है | इसे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए | और इसके लिए एक सुदृढ़ तथा संधारित राजनितिक प्रतिबद्धता , विस्तारित वित्तीय आवंटन के साथ – साथ नीति – निर्माण में, रणनीतिक योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं में सभी के लिए शिक्षा के सभी भागीदारो का सक्रिय योगदान या प्रतिभागिता होनी चाहिए | इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं से परे अच्छी तरह से विस्तारित है | सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है |

इसके लिए घरेलू समुदायऔर स्कूली स्तरों पर होने वाले बहिष्करण के सहभागी विश्लेषण की आवश्यकता होती है | साथ ही और सीखने की विविध लचीले और नवीन उपागमों तथा एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो परस्पर सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है | (डकार फ्रेमवर्क – कार्य के लिए, 2000 पृष्ठ17, 20) इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय तथा कक्षा में अध्यापक और प्रधान अध्यापको की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती हैं | वर्तमान शोध इसी के सन्दर्भ में करने का एक प्रयत्न है |

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों अथवा दिव्यांग को सामान्य के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है तथा विशेष छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते है |

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग की समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए | इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है |

पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए |

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है | एक मायने में सर्वशिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्यों है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा |

शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक,भावनात्मक एवम् सामाजिकता के उन्नयन से हैं | जीवन में शिक्षा, इतनी अधिक उपयोगी हैं कि कहा गया है “बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान हैं”|

समावेशी शिक्षा का एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जुड़े पुरानी है | प्राचीन शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा हैं |

समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विविधता से पूर्ण छात्रों को अनुकूल पर्यावरण में सार्थक शिक्षा प्रदान करने से है |ताकि उनका समुचित विकास हो और वे जीवन मार्ग पर सफल हो सके , चल सके और अपनी समता के अनुसार दौड़ लगा सके |

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा ना सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य हैं, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज

निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्षणों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक ना बन पाए। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा।

यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है - विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से भी पीछे रहे हैं । सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) इन समूहों को लिंग (विशेष रुप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति' ओबीसी और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक) भौगोलिक पहचान (जैसे- गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता (सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक- आर्थिक स्थिति (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल -तस्करी के शिकार बच्चे, या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी ग्रामीण भी शामिल है) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में यह गिरावट सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में अधिक है और विशेषकर इन एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एसईडीजी के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले एसडीजी की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उप खंडों में दी गई है।

यू-डीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकनों में गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 6.8%), और दिव्यांग बच्चों (1.1% से 0.25%) के

लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।

गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालो को पूरा करना प्रमुख लक्षणों में से एक रहेगा। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे में भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जनजाति समुदाय के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले।

स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपो के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लक्षित छात्रवृत्ति, मातापिता को अपने - बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सतर्क नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना, आदि जैसे विभिन्न सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में एसईडीजी की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और आयोजन को पूरे देश में और अधिक सुदृढ किया जाना चाहिए|

ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में वह देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री- स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा।

ईसीसीई सीधी में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय व विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही, गंभीर अथवा एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो, एक

संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय का विद्यालय परिसर कार्य करेंगे जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे-बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह कला, खेल और व्यवसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। एनआईओएस भारतीय संकेतक भाषा सिखाने के लिए भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर- गुणवत्ता वाले माँड्यूल विकसित करेगा। यह भी दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा

एसईडीजी छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सलरीकृत तरीके स्थापित किये जाएंगे जैसे-किसी ऐसी एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं, छात्रवृत्ति अथवा अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करें और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करें |

उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण में समावेश और क्षमता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो है किंतु पर्याप्त नहीं। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और छात्र भी शामिल है, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और क्षमता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों की सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगी, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और क्षमता शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख प्रमुख पहलू बन जाएगा (और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक और अन्य पदों के लिए प्रशिक्षण में भी) साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा कि एसईडीजी में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक व नेतृत्वकर्ताओं का अधिक से अधिक चयन किया जाए।

छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों (जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता परामर्शदाता) इत्यादि द्वारा लाई गई इन नई स्कूल संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे| इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशील विकसित करेगा| स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा, और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित हैं|

1.1.0 अध्ययन की आवश्यकता

बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए और साक्षरता दर कम हो गई हैं | इसी में सुधार करने के लिए और सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा RTE 2009 ACT पारित किया गया |

RTE ACT 2009 शिक्षा का अधिकार है इसे निःशुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम भी कहा जाता है | यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ |

निःशुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2001 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए 6 अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया एक प्रावधान हैं | इस एक्ट के अनुसार 6-14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है |

RTE ACT लागू होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है | जहाँ बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है | इस अधिनियम RTE 2009 का 2012 में संशोधन कर दिव्यांगजनों को भी उचित स्थान दिया गया |

RPWD ACT 2016 इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकलांगता के प्रकार को बढ़ाया गया है और इसके साथ –साथ अतरिक्त लाभों का भी प्रावधान किया गया हैं | नए RPWD ACT में 21 अक्षमताओं की पहचान

कर उन्हें सूची में रखा हैं | इससे पहले पुराने अधिनियम (PWD Act 1995) में सिर्फ 7 अक्षमताओं को ही अक्षमता श्रेणी में रखा गया था |

सलमांका कथन के अनुसार , प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है तथा शैक्षणिक व्यवस्था को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे रुचियों , योग्यताओं तथा अधिगम आवश्यकताओं वृहद भिन्नता को पूरा किया जा सके |

आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 के अनुसार, मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकता में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने (होम स्कूलिंग) व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके मातापिता- / अभिभावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह-आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जायेगा। गृह-आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह-आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है इसके लिए मातापिता- / देख रेख करने वालों के-उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिनियम सामग्री के व्यापक प्रचारप्रसार के प्रयोग-के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मातापिता- / देखरेख करने वाले बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाये|

एसईडीसी के अंतर्गत और ऊपर वर्णित नीतिगत बिंदुओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षिक विकास में असमानताओ को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा| स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत, सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके|

विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों (सीखने से संबंधित अक्षमताओं के साथ) को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके|

1.1.1 समस्या कथन

भोपाल जिले के विद्यालयी कार्यकर्त्ताओं का समतामूलक और समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन |

1.1.2 अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी

जागरूकता समावेशी शिक्षा और समता मूलक के स्वरुप और योजना के प्रति जानकारी होना | शिक्षकों का समावेशी शिक्षा और समता मूलक के प्रति रुझान |

समावेशी शिक्षा – समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य भागीदारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना ताकि उनमें भी आत्मविश्वास जाग्रत हो सके एवम् वे आत्मनिर्भर बन सके | RPWD Act 2016 के अनुसार "समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार से अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति में सक्षम है "।

समता मूलक- समता मूलक वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करनी है| तथा प्रत्येक विद्यार्थी का उस स्तर तक समर्थन करना जितना उन्हें सफल होने की आवश्यकता है | समानता संसाधनों के लिए समान पहुँच और अवसर का प्रावधान है | इसके अंतर्गत सभी को अनिवार्य रूप से एक ही चीज मिलती है | भले ही उनकी जरूरते अलग हों | समता सभी व्यक्तियों और बालकों को सामान्य लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत संसाधनों का प्रावधान है |

1.1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1- विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा और समता मूलक के प्रति शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन करना |

2- लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा और समता मूलक के प्रति प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की जागरुकता का अध्ययन करना |

3- प्रशिक्षण के आधार पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना |

1.1.4 समस्या का सीमांकन

1- प्रस्तुत शोध कार्य मध्यप्रदेश के भोपाल के शहरी स्तर तक सीमित है |

2- प्रस्तुत शोध कार्य 2 शासकीय विद्यालयों में किया गया है |

3- प्रस्तुत शोध कार्य प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों पर किया गया है |

4- प्रस्तुत शोध कार्य प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों में समावेशी शिक्षा तथा समता मूलक के प्रति जागरूकता में किया गया है |